संख्या-1185/2026/587/22-2-2026-17(282)/2026

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 07 सितम्बर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी गोविन्दराम पुत्र श्री लोकराम, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-10576/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-09.03.2026), दिनांक 23.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी गोविन्दराम पुत्र श्री लोकराम, जो मौहल्ला वमनपुरी, कस्बा व थाना-पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। पत्नी के चरित्र पर सन्देह को लेकर हुयी कहासुनी के विवाद में दिनांक 09.12.2010 को बन्दी ने बांका से मारकर अपनी पत्नी श्रीमती नन्ही देवी की हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण सं0- 140/2011 में भा०द०वि० की धारा 302 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अ०जा० अनु०ज० (अ०नि०) अधिनियम), पीलीभीत के आदेश दिनांक 21.02.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी ने दिनांक 01.01.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 20 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 07 माह 09 दिन की सजा पूरी कर ली है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा किया गया अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी की समयपूर्व रिहाई से कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीमीत द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पत्नी के चरित्र पर सन्देह को लेकर हुयी कहासुनी के विवाद में दिनांक 09.12.2010 को बन्दी ने बांका से मारकर अपनी पत्नी श्रीमती नन्ही देवी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष गोविन्दराम पुत्र लोकराम को फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.gov.in

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोविन्दराम (बन्दी संख्या- 49746) पुत्र श्री लोकराम, निवासी जनपद-पीलीभीत की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1185/2026/587(1)/22-2-2026 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।
2- पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-1185/2026/587/22-2-2026-17(282)/2026

दिनांकः 07 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी गोविन्दराम पुत्र श्री लोकराम, जो मौहल्ला वमनपुरी, कस्बा व थाना-पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत का निवासी है। पत्नी के चरित्र पर सन्देह को लेकर हुयी कहासुनी के विवाद में दिनांक 09.12.2010 को बन्दी ने बांका से मारकर अपनी पत्नी श्रीमती नन्ही देवी की हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण सं0- 140/2011 में भा०द०वि० की धारा 302 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अ०जा० अनु०ज० (अ०नि०) अधिनियम), पीलीभीत के आदेश दिनांक 21.02.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बंदी ने दिनांक 01.01.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 20 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 07 माह 09 दिन की सजा पूरी कर ली है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा किया गया अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी की समयपूर्व रिहाई से कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। जिला मजिस्ट्रेट, पीलीमीत द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पत्नी के चरित्र पर सन्देह को लेकर हुयी कहासुनी के विवाद में दिनांक 09.12.2010 को बन्दी ने बांका से मारकर अपनी पत्नी श्रीमती नन्ही देवी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष गोविन्दराम पुत्र लोकराम को फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।